

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व)सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि- चक 34 पीटीपी मे खाता संख्या 49/49 मे कुल रकबा 3.274 हैक्टैयर मे से प.न. 70/157 मु.न. 44 का कि.न. 15/1 मे 0.228 हैक्टैयर नहरी, कि.न. 15/2 मे 0.025 है. खाला, कि.न. 16/1 मे 0.228 है. नहरी व कि0न0 16/2 में 0.025 है. खाला, कि.न. 23/0.163 है. नहरी, कि.न. 24/0.164 है. नहरी, कि.न. 25/0.164 नहरी, कुल 0.997 हैक्टैयर यानि 3 बीघा 19 बिस्वा रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। यदि रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तरतीव तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-01-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



हवाई
हवाई सिंह यादव (अ.र.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

सादुलशहर राजस्व
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर